उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-09/2020/1042/94-स्टा0नि0-2-2020-700(64)/2018

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से अधिसूचना संख्या-18/2018/474/94-स्टा०नि०-2-2018-700(64)/2018 दिनांक 23 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्तम्भ-2 में, शब्द "50 एकड़" के स्थान पर शब्द "25 एकड़" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-09/2020/1042/94-स्टा0नि0-2-2020-700(64)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर,2020

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियां स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव ।

संख्या-09/2020/1042/94-स्टा0नि0-2-2020-700(64)/2018, दिनांक 01 अक्टूबर,2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2.मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3.औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4.अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5.मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6.आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
7.आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8.अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
9.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10.सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
11.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12.समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
13.समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
14.विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
15.भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
16.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no-09/2020/1042/94-S.R.-2-2020-700(64)/ 2018 dated, 01 October, 2020.

Notification

Order

No-09/2020/1042/94-S.R.-2-2020-700(64)/ 2018

Lucknow, Dated, 01 October, 2020

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, from the date of publication of this notification, is pleased to make the following amendment in the Notification No. 18/2018/474 /94-S.R.-2-2018-700 (64)/ 2018 dated 23 May, 2018:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in column-2 of the Schedule for the words "50 acres" the words “25 acres” shall be substituted.

By order

Veena Kumari

Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**